## न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

· पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 5/2019 ई.रे. दिनांक 28.10.2025

कालु पिता नाथु मीणा निवासी पायरी तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

**बनाम**

1–रतना पिता वेणा मीणा निवासी पायरी तहसील बड़ीसादड़ी

2–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब बडीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री आर. एस. झाला वकील प्रार्थी

### –:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता सं. 98 की आराजी नं. 50 रकबा 1.07 हैक्टेयर, आराजी नं. 58 रकबा 1.07 है आराजी नं. 60 रकबा 5.03 है आराजी नं. 61 रकबा 1.04 है कुल किता 4 रकबा 9.01 है कुल लगानी 6.24 रूपये ग्राम पायरी प.ह. जयसिहपुरा तह. बडीसादडी में स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। मूल पुरूष किका के कुल 1 पुत्र दडन्गा हुआ था व दडन्गा के दो पुत्र नाथु और वेणा हुये थें। वेणा के 2 पुत्र रतना व शम्भु पैदा हुये जिसमें शम्भुलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई औलाद व वारीस नही है तथा अप्रार्थी रतनलाल जिन्दा है। नाथु के 1 पुत्र कालु पैदा हुआ जो प्रार्थी है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है किन्तु वेणा जो कि नाथु का बडा भाई था और प्रार्थी का बड़ा पिता लगता था वह दोनों पुत्रों में से बडा होकर जयेष्ट था जिस कारण दडन्गा कि मृत्यु के पश्चात सहवन से सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजीयात का नांमातरण विरासत से वेणा के नाम खुलकर दर्ज रिकार्ड कर दिया था जबकि वेणा अपने जीवनकाल में कहता रहा कि वादग्रस्त आराजीयात में आधा हक हिस्सा नाथु का है और पुनः हम दोनों भाई 1/2 हक हिस्से अनुसार खाते में नाम रिकार्ड दर्ज करवा लेगें किन्तु वेणा कि मृत्यु हो गयी और सम्पुर्ण आराजीयात का विरासत से पुनः नांमातरण विरासत से वेणा के पुत्र अप्रार्थी रतनलाल व शम्भुलाल के खोलकर दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जो गलत है तथा शम्भुलाल की मृत्यु हो चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के पिता की और पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है और गलती से बडें पुत्र होने के कारण वेणा के नाम दर्ज कर दी गई थी और वेणा कि मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जबकि वादग्रस्त आरीजयात में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा निहित है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी के नाम घोषित कर प्रार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड फरमाया जावे। उक्त [illegible] अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होने से उसका अप्रार्थीगण फायदा उठाकर अप्रार्थीगण [illegible] स्त आराजीयात को विक्रय हस्तारण व खुर्द बुर्द कर प्रार्थी को उसके हक [illegible] जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात [illegible] विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी नहीं हैं पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तथा विपक्षी खातेदार है। जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

**<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>**

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित नहीं है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है । विपक्षी खातेदार काश्तकार है जिसको जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है । अतः तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है।

–:निर्णयः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested